रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009/पौष 22, 1930
No. 15] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSA 22, 1930

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2009

सा.का.नि. 20(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2008 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे ।

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 की अनुसूची II के भाग ख में, निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) किसी राज्य संवर्ग में चयन ग्रेड में पदों की संख्या, भारतीय प्रशासनिक सेवा की संवर्ग पद संख्या के निर्धारण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मानकों के अनुसार होगी ।"

[फा. सं. 11030/41/2008-अभासे (II)]

यश पाल, डेस्क अधिकारी

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 213(अ) दिनांक 20 मार्च, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में सा.का.नि. 23(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2007 तथा सा.का.नि. 665(अ) दिनांक 19 सितम्बर, 2008 द्वारा संशोधित किए गए ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को प्रभावी किए जाने से भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी सदस्य के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2009

G.S.R. 20(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government after consultation with the Government of the States concerned, hereby makes the following rules to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

1. These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 2008.

2. They shall be deemed to have come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In Part B of the Schedule II of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007 for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"(1) The number of posts in the Selection Grade in a State Cadre shall be as per the norms issued by the Central Government for fixation of cadre strength of IAS."

[F. No. 11030/41/2008-AIS(II)]
YASH PAL, Desk Officer

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 213(E), dated the 20th March, 2007 and subsequently amended *vide* G.S.R. 23(E), dated the 10th January, 2008 and G.S.R. 665(E), dated the 19th September, 2008.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It is certified that no member of the Indian Administrative Service is likely to be adversely affected by giving effect to these rules.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.